भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4310
18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

fnYyh eVk e fj;k;r

4310. श्री पी॰के॰ कुनहालिकुट्टीः
श्री के॰ नवासखनीः

क्या vkokl u vkj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दिल्ली मेट्रो में विद्यार्थियों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों आदि को कोई रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : जी नहीं। मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 33 और 34 के अनुसार, मेट्रो रेल के किराये का निर्धारण किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा किया जाता ह□ जिसकी अध्यक्षता या तो एक □□न न्यायाधीश या एक माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। किराए का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता ह□ □िल्ली मेट्रो का किराया चतुर्थ एफएफसी की सिफारिशों के आधार □र संशोधित किया गया ह□ समिति ने छात्रों, □िव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों आ□ के लिए किसी भी रियायत की सिफारिश नहीं की ह□ अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, एफएफसी की सिफारिशें बाध्यकारी हैं।